>

Title: Need to delegate powers to the Panchayati Raj Institutions for participation in development and judicial process in the country.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आजाद भारत में आजादी की लौ देश के दूरदराज बैठे गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने हेतु संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत विकास व न्याय प्रक्रिया में सहभागिता व शक्तियां देने की बात हुई थी, परन्तु खेद है कि 63 वर्ष बाद भी इस प्रणाली में ये शक्तियां देश की पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को नहीं दी गई हैं। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इन्हें भी विकास व न्याय प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहभागी बनायें व उचित शक्तियां प्रदान करें।